न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 96/2021

बृजमोहन पुत्र जालुराम जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
आवेदक

बनाम

1. जगदीश पुत्र गीलू जाति कुम्हार निवासी महरादास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. रामस्वरूप पुत्र गीलू जाति कुम्हार निवासी महरादास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. सुगनी पत्नी गीलू जाति कुम्हार निवासी महरादास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. जयपाल पुत्र नाराणाराम जाति कुम्हार निवासी महरादास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
5. बनवारी पुत्र नाराणाराम जाति कुम्हार निवासी महरादास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
6. मोतीलाल पुत्र नाराणाराम जाति कुम्हार निवासी महरादास तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
7. अनिता देवी पुत्री इन्द्रराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जांगिड़ निवासी लादुसर तहसील मलसीसर
8. अनिल कुमार पुत्र गुलाबचन्द जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
9. कलावती देवी पुत्री इन्द्रराम पत्नी चोथूराम जाति जांगिड़ निवासी पीपल का बास तन मण्डावा तहसील मण्डावा।
10. ताराचन्द पुत्र कालुराम जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
11. दयानन्द पुत्र चिमनाराम जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
12. नारायणी पत्नी कालूराम जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
13. नीलम पुत्री गुलाबचन्द पत्नी अनिल जाति जांगिड़ निवासी खीदरसर तहसील मलसीसर।
14. प्रेमदेवी पत्नी गुलाबचन्द जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
15. परमेश्वरी देवी पुत्री इन्द्रराम पत्नी सतु जांगिड़ निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा।
16. बाबुलाल पुत्र कालूराम जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
17. बिमला पुत्री कालुराम पत्नी मूलचन्द जाति जांगिड़ निवासी लादुसर तहसील मलसीसर।
18. मदनलाल पुत्र कालुराम जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
19. महावीर प्रसाद पुत्र इन्द्रराम जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
20. मीरा देवी पुत्री इन्द्राराम पत्नी निवास जाति जांगिड़ निवासी वाहिदपुरा तहसील मण्डावा।
21. श्रीचन्द पुत्र चिमनाराम जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
22. शान्ति देवी पत्नी इन्द्रराम जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
23. सज्जनादेवी पुत्री इन्द्रराम पत्नी लालचन्द जाति जांगिड़ निवासी कमालसर तहसील मण्डावा।
24. सत्यपाल पुत्र इन्द्रराम जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
25. सुधीर पुत्र नागर जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
26. सन्तरा पुत्री कालुराम पत्नी बलबीर जाति जांगिड़ निवासी लादुसर तहसील मलसीसर।
27. सुनिलकुमार पुत्र गुलाबचन्द जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
28. सुभाष पुत्र नागर जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
29. सुशील पुत्र नागर जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
30. सहदेव पुत्र गुलाबचन्द जाति जांगिड़ निवासी महरादास तहसील मलसीसर।
31. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा अलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक।
32. झुन्झुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा अलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक।
33. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांक 29.08.2023

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का हरिपुरा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 29 रकबा 0.69 है0, ख0न0 30 रकबा 1.33 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.02 है0 भूमि अवस्थित है जो प्रार्थी की खातेदार की भूमि है। इसी प्रकार ख0न0 40/246 जगदीश, रामस्वरूप व सुगनी की सह खातेदारी की भूमि है तथा ख0न0 40 अप्रार्थी संख्या 4, 5, 6 की सह खातेदारी की भूमि है तथा ख0न0 39 अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 30 की सहखातेदारी की भूमि है। ग्राम हरिपुरा से एक रास्ता जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, ख0न0 40/246 में दो तरफ फटता है। एक मोगा गांव की तरफ चला जाता है तथा दुसरा रास्ता अलसीसर चला जाता है। घासीराम का बास से एक रास्ता आवेदकगण की भूमि ख0न0 29 व 30 की पश्चिमी सीमा तक स्थित है यह रास्ता हमेशा से ख0न0 40/246 में स्थित रास्ता में जाकर मिलता था जो सहवन से ख0न0 29 व 30 की पश्चिमी सीमा से लेकर ख0न0 40/246 में हरिपुरा से आने वाले रास्ते मक मार्क ए से बी बिन्दु तक डोटेड लाईन से दर्शित नहीं किया गया परन्तु रास्ता हमेशा से था। आवेदक अपने खेत ख0न0 29 व 30 में ग्राम हरिपुरा से चलकर मार्क ए स्थान से फटकर मार्क बी स्थान तक अपने खेत में हमेशा से जाता रहा है। जिसे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 30 ने अवरूद्व कर दिया। इसलिये आवेदक के खेत में जाने का एक मात्र रास्ता अवरूद्व हो गया। आवेदक के पास खेत में जाने का कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। इसलिये आवेदक मार्क ए से बी बिन्दु तक 12 फुट चौड़ा रास्ता कायम करवाने का अधिकारी है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक को अपने खेत ख0न0 29 व 30 में जाने के लिये नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी स्थान तक 12 फुट चौड़ा रास्ता कायम किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य पेश किये गये है। आवेदक के खेत ख0न0 29, 30 में जाने के लिए खेत ख0न0 40/246 में से रास्ता कभी भी नहीं रहा है व न कभी मार्क ए से बी से आवागमन किया गया है। यह रास्ता केवल हरिपुरा गांव की सीमा तक ही है। आवेदक के खेत ख0न0 29, 30 में एक रास्ता ग्राम हरिपुरा के ख0न0 33, 34, 31 से होता हुआ तथा दूसरा रास घासीराम का बास के ख0न0 19, 20 से होता हुआ आवेदक के खेत तक आता है। इस प्रकार पहले से रास्ता मौजुद होने से नया रास्ता कायम करने का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही कथन किया गया कि आवेदक के खेत के पूर्व मालिक ने इसी रास्ते के संबंध में पूर्व में एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया था। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 11.05.2018 को विड्रा के आधार पर खारिज हो चुका है। जिसमें पूर्व मालिक पवन कुमार ने यह माना है कि उक्त भूमि में आने जाने के लिये रास्ता उपलब्ध है। इस प्रकार आवेदक अपने मालिक के कथन से पाबन्द है। इस कारण आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। आवेदक का खेत ग्राम हरिपुरा की सरहद में है तथा विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 का खेत ग्राम महरादास की सरहद में है इस कारण भी आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। भूमि ख0न0 40/246 व

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

ख0न0 40 को विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 ने भौतिक रूप से आपस में बंटवारा कर रखा है। उक्त भूमि में से रास्ता कायम करने के लिये कोई भूमि खाली नहीं हे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि आवेदक का आवेदन पत्र मय खर्चा खारीज किया जावे।

तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 1148 दिनांक 23.06.2023 को अवलोकन किया गया। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि ग्राम हरिपुरा में खाता संख्या 43 के ख0न0 29, 348/30, 349/30 किस्म गै0मु0 रास्ता, ख0न0 350/30 किात 4 कुल रकबा 2.02 है0 बृजमोहन पुत्र जालूराम हि0 पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। खातेदार की स्वयं की खातेदारी भूमि ख0न0 349/30 रकबा 0.05 है0 गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो मौके पर सुचारू रूप से चालु है। अतः 251ए के तहत रास्ता दिया जाना उचित नहीं है।

तहसीलदार मलसीसर से रिपोर्ट प्राप्त होने व जवाब देही पूर्ण होने के बाद बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी अपने खेत में आने–जाने के लिये उक्त रास्ते का उपयोग करते आ रहे है। प्रार्थी के खेत में आने–जाने के लिये इसके अलावा अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता 12 फीट चौड़ा राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज करने का आदेश दिया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिये पूर्व से रास्ता मौजूद है जो मौके पर चालु है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 बिना प्रतिफल के देने को तैयार है। इसलिये आवेदकगण का आवेदन खारीज फरमाया जावे। तहसीलदार मलसीसर ने आवेदकगण द्वारा चाहा गया रास्ता पूर्व से आवेदक की खातेदारी में रास्ता मौजुद होने एवं रास्ता सुचारू रूप से चालु होने से दिया जाना उचित नहीं बताया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक ने अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत में पूर्व से रास्ता मौजुदा होने से रास्ता दिया जाना उचित नहीं बताया है। नक्शा ट्रेस में भी आवेदक की भूमि ख0न0 30 में कटानी रास्ता दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क में यह स्पष्ट प्रावधान है कि जहां रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है वहां खातेदार के निवेदन पर नया रास्ता कायम किया जा सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक की खातेदारी में पूर्व से रास्ता कटानी दर्ज रिकार्ड है। इसकी पुष्टि तहसीलदार मलसीसर की जांच रिपोर्ट से होती है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/08/23

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर